रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 24, 2011/आषाढ़ 3, 1933
No. 339] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 24, 2011/ASADHA 3, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2011

सा.का.नि. 481(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (ञ) और खण्ड (ट) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण), संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "धन शोधन निवारण (बैंककारी कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों और मध्यवर्तियों के संव्यवहारों की प्रकृति और मूल्यों के अभिलेखों का अनुरक्षण, अनुरक्षण की प्रक्रिया और रीति तथा सूचना प्रस्तुत करने का समय और उनके ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और अनुरक्षण) नियम" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धन शोधन निवारण (अभिलेख रखना) नियम" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 6/2011/फा. सं. 6/8/2009-ई. एस.]

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सं. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2005, सं. सा.का.नि. 389(अ), तारीख 24 मई, 2007, सं. सा.का.नि. 816(अ), तारीख 12 नवम्बर, 2009, सं. सा.का.नि. 76(अ), तारीख 12 फरवरी, 2010, सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 16 जून, 2010 और सं. सा.का.नि. 980(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2011

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (h), clause (i), clause (j) and clause (k) of sub-section (2) of Section 73 of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend further the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005, namely :—

1 (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said rules, in sub-rule (1) of rule 1, for the words and brackets "Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and Time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules", the words and brackets "Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules" shall be substituted.

[Notification No. 6/2011/F. No. 6/8/2009-E.S.]

S. R. MEENA, Under Secy.

Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended by number G.S.R 717(E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389(E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R. 816(E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76(E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508(E), dated the 16th June, 2010 and number G.S.R. 980(E), dated the 16th December, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.